

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255865 CG-DL-E-29072024-255865

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] No. 414] नई दिल्ली शनिवार, जुलाई 27, 2024/श्रावण 5, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, JULY 27, 2024/SHRAVANA 5, 1946

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 453(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, निम्न श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2013 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है; या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना, अवर श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि :उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय करकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम । | पदों की संख्या। | वर्गीकरण । | वेतन मैद्रिक्स में स्तर। | चयन या अचयन पद। |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| अवर श्रेणी लिपिक | 40* (2024) | साधारण केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में | अचयन लागू |
| 1 | | सेवा, समूह 'ग' | स्तर-2 (19900- | |
| | *कार्यभार के | अराजपत्रित | 63200/-रु.) | |
| | आधार पर | अनुसचिवीय | , , | |
| | परिवर्तन किया जा | | | |
| | सकता है। | | | |

| | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। |
|--|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए लिए निर्णायक हारील वह | (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय से 12वीं स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी | हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित विस्तार तक |

या प्रतिघंटा 9000 कुंजी दाब के तत्स्थानी 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)।

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|--|--|
| (9) | (10) | (11) |
| (9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | (i) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम में सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/-रु.) में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने 12वीं स्तर उत्तीर्ण किया है या समतुल्य अर्हता है, और उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, विभागीय अर्हक परीक्षा के आयु-सीमा पैतालीस वर्ष है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए पचास वर्ष)। टिप्पणयदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्ष में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि किसी पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों को पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सकेगा। (iii) 05 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900/-रु.) में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी। टिप्पणजहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा पंरतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2-अधिकारियों को पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे उपयुक्त प्रशिक्षण से गुजरना अपेक्षित होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए। | जैसा कि स्तंभ 10 में उल्लिखित है |
| | | |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरच | ाना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|---|---|
| (12) | | (13) |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने निम्नलिखित होंगे :- | के लिए) जिसमें | लागू नहीं होता। |
| केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र) | | |
| 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान | -जध्यक्ष; | |
| 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग | -सदस्य; | |
| 3. कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित ज निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण सं नामनिर्दिष्ट किया जाए | जनजाति से संबद्ध) जो स्थान मुख्यालय से –सदस्य। | |
| हिंदी शिक्षण योजना (प्रादेशिक कार्यालय, मध्योत्तर क्षेत्र) से बाहर | | |
| 1. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष) | -अध्यक्ष; | , |
| 2. सहायक निदेशक (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट क्षेत्र में) | -सदस्य; | |
| 3. कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित ज निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संव नामनिर्दिष्ट किया जाए | नजाति से संबंद्ध) जो न्थान मुख्यालय से -सदस्य। | |
| समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लि निम्नलिखित होंगे:- | नए) जिसमें | |
| केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र) | | |
| 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान | -अध्यक्ष; | |
| 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग | -सदस्य; | |
| 3. कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित ज निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस् नामनिर्दिष्ट किया जाए | ानजाति से संबद्ध) जो थान मुख्यालय से -स दस्य । | |
| हिन्दी शिक्षण योजना (प्रादेशिक कार्यालय मध्योत्तर क्षेत्र से बाहर) | | |
| 1. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (यथास्थिति, कार्यालयाध्यक्ष) | -अध्यक्ष; | |
| 2. सहायक निदंशक (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट क्षेत्र में) | -सदस्य; | |
| 3. कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित ज निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस् नामनिर्दिष्ट किया जाए | नजाति से संबद्ध) जो थान मुख्यालय से -सदस्य। | |

[फा. सं. 14034/19/2022-रा.भा.(प्रशि.)]

अनिल कुमार, उप सचिव (प्रशि.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2024

- G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post. | Number of post. | Classification. | Level in the pay matrix. | Whether selection or Non-selection post. | Age limit for direct recruits. |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Lower Division Clerk. | *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial. | Level-2 (₹19900 – 63200) in the pay matrix. | non-selection | Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) NoteThe crucial date for determining the age limit shall be fixed by the Staff Selection Commission. |

| Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Mode of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|--|--|--------------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) 12 th standard pass or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words in Hindi on Computer. (35 words per minute and 30 words per minute corresponding to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word). | Yes, to the extent indicated in column (10) | Two years for direct recruits. | (i) Eighty-five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) ten per cent of the vacancies shall be filled up from amongst the Group 'C' staff in the level-1 (₹18070-56900) in the pay matrix who possess 12th standard pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of a department qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty-five years. (fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes). Note If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at later examination. (iii) Five per cent of vacancies shall be filled by promotion on seniority-cumfitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in Level-1 (₹18000-56900) in the pay matrix. Note 1Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 Upon ap |

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| As stated in column (10) | Group 'C' Departmental promotion committee (for considering promotion) consisting of - | Not applicable. |
| | In Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme (North Central Region) | |
| | 1.Director, Central Hindi Training Institute - Chairman; | |
| | Under Secretary, Department of Official Language -Member; | |
| | 3. Any other Gazetted Officer | 1 |
| | (belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from Central Hindi Training Institute Headquarters - Member. | |
| | In Hindi Teaching Scheme (Regional Offices outside North Central Region) | |
| | 1. Joint Director/Deputy Director | - |
| | (Head of Office, as the case may be) - Chairman; | |
| | 2. Assistant Director | 9 |
| | (in the region nominated By Head of Office) -Member; | |
| | 3. Any other Gazetted Officer (belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from Central Hindi Training Institute Headquarters - Member. | |
| | Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of- | |
| ٠ | In Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme(North Central Region) | |
| | 1. Director, Central Hindi Training Institute -Chairman; | |
| | 2.Under Secretary, Department of Official Language | |
| | -Member; | |
| | 3. Any other Gazetted Officer (belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from Central Hindi Training Institute Headquarters -Member. | |

| In Hindi Teaching Scheme (Regional Offices outside North Central Region) |
|--|
| 1. Joint Director or Deputy Director (Head of Office, as the case may be) -Chairman; |
| 2. Assistant Director (in the region nominated by the Head of Office) -Member; |
| 3. Any other Gazetted Officer (belonging to the Scheduled Caste of the Scheduled Tribe) to be nominated by Director, Central Hindi Training Institute from Central Hindi Training Institute Headquarters -Member. |

[F. No. 14034/19/2022-रा.भा.(प्रशि.)] ANIL KUMAR, Deputy Secy. (TRG.)